

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 22nd July, 2010

No. CCP(NCR)/KTL-PUNDRI/CA/2010/2722.—Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto has the potential for building activities and haphazard development.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely :—

Schedule

Schedule of boundaries of controlled area around municipal limit Pundri, District Kaithal to be read with Drawing No. DTP(KTL) 150/2007, dated 10th May, 2007/18th June, 2007/25th July, 2007.

North : Starting from Point 'A' i.e. the north-west corner of rectangle number 155 of village Fatehpur (Hadbast number 8), where it also meets with southern boundary of Sirsa branch. Thence towards east along the south-east boundary of Sirsa branch, thence towards south along the eastern boundary of rectangle number 25, 44 and 56 of village Fatehpur (Hadbast number 8). Thence towards east along the northern boundary of rectangle number 78, 79, 80, 81 and 82 of the same village, thence along the northern boundary of rectangle number 2 of village Mohna (Hadbast number 23) and thence along the northern boundary of rectangle number 39 and 38 of village Bulani (Hadbast number 22) upto point 'B' i.e. north-east corner of rectangle number 38 of village Bulani (Hadbast number 22).

East : Thence moving from point 'B' towards south along the eastern boundary of rectangle number 38, 41, 52, 55 and 65 of village Bulani (Hadbast number 22), rectangle number 18, 21, 30, 35, 44, 49, 58 and 62 of village Mohna (Hadbast number 23), rectangle number 6, 15, 19, 28 and 35 of Jamba (Hadbast number 24), rectangle number 94, 136 and 141 of village Pundri (Hadbast number 26) and rectangle number 9, 11, 10, 23 and 24 of village Kheri Sikander (Hadbast number 25) and rectangle number 220 and 223 of village Pundri (Hadbast number 26) upto point 'C' i.e. south-west corner of rectangle number 223 of village Pundri (Hadbast number 26).

South : Thence moving from point 'C' towards south along the southern boundary of rectangle number 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 and 234 of village Pundri (Hadbast number 26), rectangle number 11, 12, 13 and 14 of village Jather (Hadbast number 28) and rectangle number 235, 236, 237 and 238 of village Pundri (Hadbast number 26) upto point 'D' i.e. south-west corner of rectangle number 238 of village Pundri (Hadbast number 26).

West : Thence moving from point 'D' towards north along the western boundary of rectangle number 238, 205, 200, 164, 159, 118, 112, 77, 70, 41, 34, 13 and 8 of village Pundri (Hadbast number 26) and rectangle number 225, 197, 189, 163 and 155 of village Fatehpur (Hadbast number 8) upto point 'A' i.e. point of start.

K. K. JALAN,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जुलाई, 2010

संख्या सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/के०टी०एल०-पुंडरी/सी०ए०/2010/2722.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र, भवन गतिविधियों तथा अनियमित विकास के लिए संभाव्य है।

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्रों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

नगरपालिका सीमा पुंडरी, जिला कैथल इर्द-गिर्द नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी०(के०टी०एल०) 150/2007, दिनांक 10 मई, 2007/18 जून, 2007/25 जुलाई, 2007 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर : बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए जो कि गांव फतेहपुर (हदबस्त संख्या 8) की आयत संख्या 155 का उत्तर-पश्चिम कोना है जहां यह सिरसा ब्रांच की दक्षिणी सीमा पर मिलता है। तत्पश्चात् पूर्व की ओर सिरसा ब्रांच की दक्षिण-पूर्व सीमा के साथ-साथ। तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव फतेहपुर (हदबस्त संख्या 8) की आयत संख्या 25, 44 तथा 56 की पूर्वी सीमा के साथ साथ। तत्पश्चात् पूर्व की ओर इसी गांव की आयत संख्या 78, 79, 80, 81 तथा 82 की उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ। तत्पश्चात् गांव मोहना (हदबस्त संख्या 23) की आयत संख्या 2 की उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ। तत्पश्चात् गांव बुलानी (हदबस्त संख्या 22) की आयत संख्या 39 तथा 38 की उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गांव बुलानी (हदबस्त संख्या 22) की आयत संख्या 38 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर गांव बुलानी (हदबस्त संख्या 22) की आयत संख्या 38, 41, 52, 55 तथा 65 की पूर्वी सीमाओं के साथ-साथ, गांव मोहना (हदबस्त संख्या 23) की आयत संख्या 18, 21, 30, 35, 44, 49, 58 तथा 62 की पूर्वी सीमाओं के साथ-साथ। तत्पश्चात् गांव जाम्बा (हदबस्त संख्या 24) की आयत संख्या 6, 15, 19, 28 तथा 35 की पूर्वी सीमाओं के साथ-साथ, तत्पश्चात् गांव पुंडरी (हदबस्त संख्या 26) की आयत संख्या 94, 136 तथा 141 की पूर्वी सीमाओं के साथ-साथ, गांव खेड़ी सिकंदर (हदबस्त संख्या 25) की आयत संख्या 9, 11, 10, 23 तथा 24 की पूर्वी सीमाओं के साथ-साथ तथा गांव पुंडरी (हदबस्त संख्या 26) की आयत संख्या 220 तथा 223 की पूर्वी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव पुंडरी (हदबस्त संख्या 26) की आयत संख्या 223 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

दक्षिण : तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर गांव पुंडरी (हदबस्त संख्या 26) की आयत संख्या 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 तथा 234 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ। तत्पश्चात् गांव जठेड़ (हदबस्त संख्या 28) की आयत संख्या 11, 12, 13 तथा 14 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ। तत्पश्चात् गांव पुंडरी (हदबस्त संख्या 26) की आयत संख्या 235, 236, 237 तथा 238 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव पुंडरी (हदबस्त संख्या 26) की आयत संख्या 238 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

पश्चिम : तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर गांव पुंडरी (हदबस्त संख्या 26) की आयत संख्या 238, 205, 200, 164, 159, 118, 112, 77, 70, 41, 34, 13 तथा 8 की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ। तत्पश्चात् गांव फतेहपुर (हदबस्त संख्या 8) की आयत संख्या 225, 197, 189, 163 तथा 155 की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

के० के० जालान,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।